क्रमांक प्र.अ./नि.स./2011/ 3484/002/2010 (पार्टी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर 462003
भोपालः दिनांक 12 मार्च, 2013.
18

प्रति,

1/ समस्त मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग,

2/ उप संचालक,
डाटावेस सेन्टर,
भोपाल

3
19/3

विषयः– लाईट मशीनरी संभागों के अन्तर्गत तकनीकी स्वीकृति ।

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत प्रत्येक मुख्य अभियंता के अन्तर्गत सामान्य तौर पर एक लाईट मशीनरी संभाग कार्यरत हैं । इन संभागों के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति कार्यपालन यंत्री (वि/यां.) के व्दारा दी जाती है । कभी कभी इन संभागों को ऐसे कार्य भी सौंपे जाते हैं जिनकी तकनीकी स्वीकृति सक्षमता कार्यपालन यंत्री के स्तर से वरिष्ठ अधिकारी की होती है । वर्तमान में कार्यपालन यंत्री (वि./यां) ऐसे प्रकरणों को अधीक्षण यंत्री (सिविल) को प्रेषित करते है । कुछ प्रकरण अधीक्षण यंत्री (सिविल) की सक्षमता न होने पर मुख्य अभियंता (सिविल) को प्रेषित किये जाते है ।

विद्युत यांत्रिकी के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण यंत्री (सिविल) अथवा मुख्य अभियंता (सिविल) के व्दारा दिया जाना उचित नहीं है । ऐसी स्वीकृतियां अधीक्षण यंत्री (वि/यां) अथवा मुख्य अभियंता (वि./यां.) के व्दारा ही दिया जाना चाहिए ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में ऐसे सभी प्राक्कलन जो कार्यपालन यंत्री (वि/यां.) की सक्षमता में नहीं हों, उन्हें अधीक्षण यंत्री (सिविल) को प्रेषित किया जाये । अधीक्षण यंत्री (सिविल) ऐसे सभी प्राक्कलन मुख्य अभियंता (वि/यां) को प्रस्तुत करेंगें । यदि प्राक्कलन अधीक्षण यंत्री की सक्षमता का है तो मुख्य अभियंता (वि/यां) अपने अधीनस्थ किसी अधीक्षण यंत्री (वि/यां.) को निर्देशित करेंगे कि वे प्राक्कलन का परीक्षण कर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करें । यदि प्राक्कलन मुख्य अभियंता की सक्षमता का हो तो मुख्य अभियंता (वि/यां.) तकनीकी स्वीकृति प्रदान करेंगे ।

16.3.13

(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग